

पर्यावरणीय जन-सुनवाई के कार्यवृत्त (Minutes)

“गडावासन क्वार्टर्ज माईनिंग प्रोजेक्ट” (प्रो. श्री नरपत सिंह चारण) एम.एल.नं. 01/2023 (क्षेत्रफल 1.3592 हैक्टेयर), (क्लस्टर क्षेत्रफल 6.3118 हैक्टेयर), की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 16.04.2025 प्रातः 11:30 AM बजे, ग्राम गडावासन, तहसील— सागवाड़ा, जिला— डूंगरपुर में आयोजित पर्यावरणीय जन-सुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

स्थान— राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम गडावासन, तहसील— सागवाड़ा, जिला— डूंगरपुर (राज.)

पर्यावरणीय जनसुनवाई में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई—

1. श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला— डूंगरपुर
2. श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा
3. श्री शिव दयाल धाकड़, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला— डूंगरपुर की अध्यक्षता में श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए तथा जन सुनवाई के संबंध में नियमों की जानकारी देते हुए कहा की यह जन सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति एवं द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 13.03.2025 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.04.2025 को आमजन को सूचना हेतु जन सुनवाई की तारीख, स्थान, समय के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी।

यह जनसुनवाई "गडावासन क्वार्ट्ज माइनिंग प्रोजेक्ट" द्वारा प्रस्तावित मेसनरी स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 01/2023 लीज क्षेत्र 1.3592 हैक्टेयर, प्रस्तावित मेसनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 87061 TPA (ROM) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.3118 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 323745 TPA ग्राम गडावासन, तहसील— सागवाड़ा, जिला— डूंगरपुर (राज.) स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है।

उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते हैं।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत्त बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को संदर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 06.08.2024 को इस कमेटी द्वारा जारी की जा चुकी है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योगों द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्ष्मता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए अधिकारी, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (संलग्नक "1" में संलग्न) हैं।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (मैसर्स एन एस एनवायरोटेक लैबोरेटरीज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (राज.)) द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आई.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है :-

श्री अजीत सिंह राव, उप सरपंच, ग्राम गडवासन :- ने धूल के कणों को दबाने के लिए समय समय पर पानी का छिड़काव करने का सुझाव दिया और गाँव के सभी लोगो को रोजगार मिलने की बात कही ।

श्री रणजीत, ग्राम गडवासन :- ने कहा कि गाँव के रास्ते चौड़े नहीं है गाँव से कोई बड़ा साधन बाहर नहीं जा पाते है पर्यावरण के लिए भी अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है जिस पर कोई पाबंदी नहीं है और गाँव में पानी की समस्या बहुत अधिक है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम जाखरी :- पिछले वर्षों में आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण का अच्छा अभियान चलाया गया अब लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा की जानी चाहिए तथा पेड़ों को निरंतर पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मी, ग्राम गडवासन :- गडवासन के सभी हैंडपंप खराब होने के कारण गांव के लोगो को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

इस के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट में कुछ सुझाव और विचार व्यक्त किये, जिस में उन्होंने सुझाव दिया कि सी.एस.आर. को सही तरीके से खर्च किया जाये ।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट जाने पर्यावरणीय सलाहकार से पूछा कि खदान से निकले अपशिष्ट के लिये क्या क्या सावधानियों बरती जायेगी तथा ब्लास्टिंग से निकले हानिकारक प्रदूषण का क्या किया जायेगा । जिसके जवाब में पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि कोई भी तरल अपशिष्ट नहीं निकलेगा तथा ठोस अपशिष्ट को बहार कर दिया जायेगा तथा ब्लास्टिंग से धूल के अलावा कोई भी हानिकारक प्रदूषक नहीं निकलेगा ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डूंगरपुर ने सुझाव दिया कि सड़कों को सुधारा जाना चाहिए और उनके आसपास पौधे लगाए जाने चाहिए ।

आज की जनसुनवाई में हम कोई फैसला नहीं ले रहे हैं बस जो आपकी बातें हैं उनकी वस्तुस्थिति रिपोर्ट जयपुर संबंधित विभाग को भिजवाई जाएगी।

जनसुनवाई के दौरान समस्त निवासियान, परिक्षेत्र ग्राम पंचायत:- झांखरी, कराड़ा द्वारा दिए गए पत्र की प्रति संलग्नक "2" में संलग्न है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामवासियों/व्यक्तियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डूंगरपुर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

धन्यवाद।



(रवि चंदेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा



(दिनेश चन्द धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जिला- डूंगरपुर

स्नेहमे,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय

जन सुनवाई शिफ्ट केम्प झाँबरी

प्राचीन : समस्त निवासिमान परिक्षेत्र ग्राम पंचायत, झाँबरी, कूराडा

विषय : ग्राम पंचायत कूराडा, झाँबरी में चल रही माइनिंग में विपत्तों का
पालन करवाने के रूप में

महोदयजी,

उक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत, झाँबरी, कूराडा एवं आसपास के परिक्षेत्र में ओ.बी. माइनिंग संचालित हो रही है उसके पक्षे वायु प्रदूषण, बरसात है पक्षे स्टाइज पत्थरों की पिटाई (क्राशिंग) एलास्टिक होती है इसके बहुत ही छोटी सख्त धूल उड़ती रहती है जो आसपास के निवास (निवासी) लोगों की बीमारी फैल जाती है इसके एक परिक्षेत्र में अलग-अलग में स्वास्थ्य का भारी नुकसान होने की पूर्ण सम्भावना है यह घर जमी वा बिडगाय नहीं किया जाता है पर्यावरण को दो हरे नुकसान की भरपूर हेतु चेड पोछे भी नहीं लगाये जा रहे हैं। माइनिंग संचालकों की भारी लापरवाही एवं अनदेखी के चलते पक्ष के वाशिंगों का जन जीवन संकटमय बन रहा है पक्ष की मिट्टी, पेड पेछे सभी प्रभावित हो रहे हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जन माइनिंग संचालकों से पाबन्द कराना करमाये की माइनिंग के दौरान पर्यावरण के विपत्तों का पालन करे।

दिनांक 16.4.25

16.4.25

मेरा

हरि सिंह जीराज सिंह
रूप सिंह राठौड़

सुभाष चन्द्र
बलु कामा सिंह
कावर्षि

श्री नरपत सिंह चारण, प्रस्तावित गढ़ावासन क्वार्टर खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 01/2023, लीज क्षेत्र 1.3592 हैक्टेयर, प्रस्तावित क्वार्टर उत्पादन क्षमता ROM 87061 TPA) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.3118 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 323745 TPA (ROM) निकट ग्राम- गढ़ावासन, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डुंगरपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 16.04.2025 को प्रातः 11:30 बजे, में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	दिनेश चंद्र धाकड़	ADM - Durgamur	
2.	रवि कुमार चंदेल	RO - RSPCB - Bamswara	
3.	शिव ह्याल धाकड़	JEE - RSPCB - Bamswara	
4.	ज्योति लक्ष्मीदेवी पल्लार	प.स. विभाग सरपंच	
5.	श्री राव अमीर सिंह	प.स. विभाग उपसरपंच	
6.	श्री हरि सिंह राव	गढ़ावासन	
7.	श्री नारायण सिंह	गढ़ावासन	
8.	श्री प्रवीण सिंह	गढ़ावासन	
9.	श्री हेमन्त पाटीदार	सहायक विभाग पटवारी	
10.	श्री लक्ष्मी पाटीदार	सहायक विभाग पटवारी	
11.	श्री प्रोत्ता सिंह राव	गढ़ावासन	
12.	श्री ईश्वर भाग	गढ़ावासन	
13.	लक्ष्मी कुटीरा भाग	गढ़ावासन	
14.	विनीत चौबीदार	सहायक विभाग पटवारी	
15.	गोविंद भाग	गढ़ावासन	
16.	वासुदेव	गढ़ावासन	
17.	सोहन भाग	गढ़ावासन	

[illegible]